'नीट की कोचिंग से प्रतिभावान छात्राओं को मिलेगा सम्बल'

उदयपुर, (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल से आदिवासी क्षेत्र की बेटियों को बेहतर भविष्य मिलेगा। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत बड़ा कदम उठाते हुए 100 जनजाति बालिकाओं को नीट की नि:शुल्क कोचिंग का शुभारंभ किया। उदयपुर के राजकीय मॉडल आवासीय विद्यालय, ढीकली में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के तहत नीट की कोचिंग से सुदूरवर्ती क्षेत्रों की प्रतिभावान छात्राओं को सम्बल मिलेगा।

पहलगाम में बर्बर आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की मिसाल देते मंत्री खराड़ी ने बेटियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने हुए कहा कि कई बेटियों के माता-पिता के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे महंगी कोचिंग करवा सके, इसी बात को ध्यान में रखते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने यह निर्णय किया है। आदिवासी बेटियों के भविष्य की चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है।

अपने स्कूली दिनों को याद करते हुए कहा कि वे रात भर चिमनी की रोशनी में पढ़ा करते थे और सुबह चार बजे जब घर में माताजी घट्टी पीसना शुरू करतीं, तब वे सोते थे। उन्होंने बेटियों से कठिन परिश्रम करने का आह्वान करते हुए कहा कि हर प्रश्न का उत्तर हमारे दिमाग में होना चाहिए। आप डॉक्टर बनें, तब आप अपने क्षेत्र, समाज में बेहतरीन डॉक्टर के रूप में पहचानी जाएं। इससे हम सभी को गर्व होगा। मंत्री खराड़ी ने आदिवासी समाज से आइएएस, आरएएस बनाने में जनजाति क्षेत्रीय विकास की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि जनजाति क्षेत्र से आइएएस के 25 और आरएएस के लिए 50 आदिवासी विद्यार्थियों के लिए जयपुर, दिल्ली की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में नि:शुल्क कोचिंग के लिए भी प्रयास जारी है। जल्द ही इस बारे में निर्णय होगा। टीएडी मंत्री खराड़ी ने बेटियों से संवाद करते हुए कहा कि आप सभी आदिवासी क्षेत्र का गौरव हैं। हमें आप पर गर्व है। आप अपने माता पिता, क्षेत्र, राज्य और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने बेटियों से उनके 10 वीं कक्षा में प्राप्त अंकों की जानकारी लेते हुए कहा कि यदि किसी भी तरह की को समस्या हो, तो निसंकोच सम्पर्क करें। उन्होंने अपने मोबाइल नंबर भी शेयर किए। कोचिंग में खुलकर सवाल पूछने और शंकाओं का समाधान करने की सलाह दी। इस दौरान बेटियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार प्रकट किया। टीएडी आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना आदिवासी अंचल की छात्राओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है।

419 बदमाश गिरफ्तार

उदयपुर,(कासं)। पुलिस ने गुरूवार तडके विभिन्न स्थानों पर दबीशें देकर देकर कार्यवाही कर 419 बदमाश प्रवृत्ति के अपराधियों को गिरफ्तार किया।

जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड के लिए एरिया डोमिनेंस की कार्यवाही करने के निर्देश पर 15 मई तडके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, गोपाल स्वरूप मेवाडा, अंजना सुखवाल व जिले के सभी पुलिस उप अधीक्षकों के सुपरविजन में गठित प्रत्येक थाने में थानाधिकारियों के नेतृत्व में करीब 120 से अधिक टीमों का गठन कर गुरूवार तडके जिले में 550 से अधिक पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा बदमाशों की धरपकड के लिए करीब 615 से अधिक स्थानों पर दबीशें दी गई।

इस दौरान पुलिस की टीमों नें वांछित 0 अभियुक्त, 1 इनामी अभियुक्त 96 स्थाई वांरटी, वांछित 36 अभियुक्त तथा निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 258 व्यक्तियों सहित 419 जनों को पकड़ा।

गीतांजलि में नर्सिंग दिवस मनाया

उदयपुर, (कासं)। गीतांजली मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस नर्मदा देवी अग्रवाल ऑडिटोरियम में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गीतांजली के संस्थापक जे.पी. अग्रवाल थे और वाइस चांसलर डॉक्टर राकेश व्यास रहे, जिन्होंने समारोह की शुरुआत की। कार्यक्रम में गीतांजली मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के स्टाफ बंधुओं और छात्रों ने अपनी प्रस्तुतियों से समां बांध दिया। नर्सेज ने स्किट के माध्यम से एक नर्स के जीवन में एक जिंदगी कितना मायने रखती हैं का अद्भुत चित्रांकन किया गया जिस पर पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। जे पी अग्रवाल चेयरमैन गीतांजली ग्रुप ने अपने भाषण मैं कहा कि सफल जीवन जीने के लिए अनुशासन, दृढ निश्चय और कठिन मेहनत अत्यंत आवश्यक है।

पिम्स में बिना ओपन हार्ट सर्जरी के हृदय के छेद का सफल उपचार

उदयपुर, (कासं)। पेसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पिम्स हॉस्पिटल, उमरड़ा में चिकित्सकों ने बिना ओपन हार्ट सर्जरी के हृदय का छेद बंदकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

पिम्स के चेयरमैन आशीष अग्रवाल ने बताया कि पिम्स हॉस्पिटल में चिकित्सकों ने कार्डियोलॉजी विभाग में एक मरीज का बिना चीरफाड़ के हृदय का छेद बंद किया है। मरीज का इलाज चिरंजीवी योजना के तहत निशुल्क किया गया। सीनियर सलाहकार और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. महेश जैन और उनकी टीम ने हृदय में जन्मजात छेद (पेटेंट डुक्टस आर्टेरिओसुस) को बंद करने के लिये पीडीए डिवाइस क्लोजर सर्जरी की। श्री अग्रवाल ने बताया कि सामान्यत: जन्म के कुछ महीने के बाद हृदय की दोनों मुख्य धमनियों के बीच मार्ग स्वत: बंद हो जाता है लेकिन किसी-किसी केस में ऐसा नहीं होता और वह मार्ग खुला रह जाता है। इसे सामान्य भाषा में दिल में छेद होना तथा मेडिकल भाषा में पीडीए कहा जाता है। सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. महेश जैन ने बताया कि इस विकार से ग्रस्त लोगों को तेज चलने, सीढ़ी चढने के दौरान सांस फूलने, चक्कर आने, कमजोरी महसूस होने की समस्या होती है तथा इनका शारीरिक विकास सामान्य लोगों की अपेक्षा कम होता है। पीडीए में डिवाइसै क्लोजर तकनीक से दिल के छेद को बंद किया जाता है। पीडीए डिवाइस क्लोजर एक छतरीनुमा डिवाइस होता है जिसमें दो छतरियां तथा बीच में एक नलिकानुमा हिस्सा होता है।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड
(जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार)
मुख्यालय: एनएसआईसी बिजनेस पार्क, एनएसआईसी एस्टेट, ओखला फेज-III, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110020

ट्राइफेड TRIFED

रुचि की अभिव्यक्ति
REF: TRIFOOD/O&M/ 2025

जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) ने "ट्राइफूड" इकाई, जो की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के सृजन से लघु वन उपज के मूल्य संवर्धन के लिए एक एमएफपी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है।

ट्राइफेड जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में ट्राइफूड इकाई के संचालन एवं प्रबंधन के लिए ऑपरेटर के रूप में कार्य करने हेतु प्रतिष्ठित निजी/सरकारी एजेंसियों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है।

क्रम संख्या	विवरण	तारीख
1.	प्रकाशन की तिथि	16.05.2025
2.	जमा करने की अंतिम तिथि	16.06.2025 (4:00 PM)
3.	ईओआई प्रसंस्करण शुल्क (वापसी योग्य नहीं)	Rs 5,000/- (मात्र पांच हजार रुपये)
4.	बोली-पूर्व बैठक	28.05.2025
5.	तकनीकी बोली खोलना	16.06.2025 (5:00 PM)

निविदा दस्तावेज https://trifed.tribal.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

cbc43104/12/0003/2526 GM(I/c), CAD

BEFORE THE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL (SHREE M. J. PARASHAR SAHEB) [MAINI CHHOTAUDEPUR.

PUBLIC NOTICE

MACP:-19/2023
Next Date :19/06/2025
Name Of Advocate - P. R. Pandit
Exhibit No. 16

Applicant -
LALSINGBHAI LAKADIYABHAI RATHVA
ADDRESS - MASHANI FALIYU, MOTI SADHALI RANGPUR, TA/DIST-CHHOTAUDEPUR
V/s
Opponent -
1) BABULAL S/O DALICHAND
ADDRESS - HOME NO. 49, DUNGARA CHHOTA,TA. SAJJANGADH DIST BANSWADA STATE - RAJASTHAN

Where the name applicants have institute a petition against you before this tribunal to award compensation 2,50,000/- under sec-164 of Motor vehicle act, 1998. You are therefore hereby notice to appear in person or by pleader duly instructed by you, on dated 19/06/2025 at 11:00 am without fail in this tribunal.

Take notice that in default of your appearance on the aforesaid day, the petition will be decided as per law.

Given under my hand and the seal of this tribunal, this 15th of May 2025

Prepared By (S. D. Madhar) Assistant District Court Chhotaudepur
Compared by, (B. M. Makwana) Shirastedar District Court Chhotaudepur
By order, I/c Registrar District Court Chhotaudepur
Court Seal

अपीलीय अधिकरण जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर (राजस्थान)
प्रारूप (ट)
(नियम 17 देखिये)
अपील संख्याः 44/2024
गिरधारीलाल सांवरिया
बनाम
साहिल सांवरिया
साहिल सांवरिया जरिये सुमित्रा खिची, प्रिंसिपल माध्यमिक शिक्षा कालका माता मन्दिर के सामने, श्री मांगीलाल जोशी के मकान के पास, यूनिर्वसिटी रोड, उदयपुर
प्रत्यर्थी

नोटिस

अतः भरण पोषण अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनाक 05.09.2024 के विरूद्ध माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 (1) के अधीन एक अपील फाईल की गई है जिसमे आप प्रत्यर्थी के रूप में शामिल है और जिसकी प्रति संलग्न है, इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।
अब आपको इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त अपील पर सुनवाई दिनांक 19.05.2025 को प्रातः 11.00 बजे नियत की गयी है, और यदि आप अपील के उत्तर में कुछ कहना चाहते है, तो उस तारीख की अपील अधिकरण के समक्ष व्यक्तिशः उपसजात हो और उस तारीख से तीन दिवस पूर्व अपना जबाब दावा फाईल करे। सूचना दी जाती है कि मामले में ऊपर वर्णित तारीख पर आपकी उपसंजाति में चूक होने पर मामला आपकी अनुपस्थिति में सुना व विनिश्चित किया जायेगा।
मेरे हस्ताक्षर और अधिकरण की मुहर सहित दिनांक 13.05.2025 को दिया गया।
अपील अधिकरण जयपुर के आदेश से।
मोहर अदालत
जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

सम्मेलन कल

उदयपुर, (कासं)। पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन के तत्वाधान में में शनिवार प्रात: 9.30० बजे सुखाडिया रंग मंच पर प्रदेश की 18 छात्राओं और एक छात्र जो अग्रवाल समाज से संबंधित है के जज के पदों पर मनोनीत होने पर एवं शहर के प्रतिष्ठित समाजसेवी व सम्मानित व्यक्तियों का सम्मान समारोह प्रदेश अध्यक्ष केके गुप्ता के अध्यक्षता में किया जायेगा। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष के के गुप्ता ने बताया की सम्मेलन के प्रथम सत्र में सम्मान समारोह एवं द्वितीय सत्र में प्रदेश से आए समाज के पदाधिकारीयो द्वारा समाज के संगठनात्मक रचना, सदस्यता अभियान, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विषयों तथा राजनीति मैं घटना प्रतिनिधित्व पर भी चर्चा की जाएगी। विशिष्ट व्यक्तित्व मैं सम्मानित होने वाले मुकेश जैन, रमेश सोनार्थी, मानक अग्रवाल, सुरेश मित्तल, नरेश शर्मा, सुदर्शन देव एवं राजेश के साथ ही पूर्व प्रदेश महामंत्री स्व राकेश अग्रवाल एवं पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राम गोपाल अग्रवाल को अग्रवाल राजस्थान रत्न से नवाजा जाएगा।

कार्यालय पंचायत समिति बडगांव, जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-194 दिनांक-14.5.2025

खुली बोली/वार्षिक दर अनुबंध वर्ष2025-26

पंचायत समिति बड़गांव में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु स्टेशनरी, फोटो स्टेट, भोजन एवं अल्पाहार व्यवस्था कार्य एवं टेन्ट व्यवस्था संबंधित कार्यो के लिए उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको/फर्मो से खुली बोली आमंत्रित की जाती है। निविदा खोलने की दिनांक 22.05.2025 होगी, जिसकी विस्तृत जानकारी sppp.rajasthan.gov.in पर देखी एवं कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
UBNNo-ZUD2526GSOB00392, ZUD2526SSOB00393-394-395

(प्रतिभा नागदा) प्रधान पंचायत समिति बड़गांव
(शैलेन्द्र पी.खींची) RRDS विकास अधिकारी पंचायत समिति बड़गांव

कार्यालय ग्राम पंचायत तरपाल
पंचायत समिति सायरा, जिला-उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-68 दिनांक-15.5.2025

-:ई निविदा सूचना -01/2024-25:-

इस ग्राम पंचायत में DMFT योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तरपाल में दो कमरे निर्माण कार्य हेतु UBN No-ZUD2526WSOB00177 के अन्तर्गत ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत विवरण/ जानकारी sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

सरपंच ग्राम पंचायत तरपाल पं.स.सायरा, जिला-उदयपुर (राज.)
ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत तरपाल पं.स.सायरा, जिला-उदयपुर (राज.)

प्रपत्र संख्या-7 (देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर : DEV/UDAIPUR/TRUST/2025/95
चूंकि प्रार्थी श्री JEEVARAM MEENA, ग्राम विकास कोष नाला फला (नाला भादावत) तहसील-गिरवा उदयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास
ग्राम विकास कोष नाला फला, ग्राम विकास कोष नाला फला (नाला भादावत) तहसील-गिरवा उदयपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अत एव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है।
में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो तो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 08.07.2025
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर

प्रपत्र संख्या-7 (देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर : DEV/UDAIPUR/TRUST/2025/113
चूंकि प्रार्थी श्री कमल कुमार, हेल्पिया फला कृष्णपूरा उदयपुर राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास
ग्राम विकास कोष हेल्पिया, हेल्पिया फला कृष्णपूरा उदयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अत एव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है।
में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो तो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 08.07.2025
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर

प्रपत्र संख्या-7 (देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर : DEV/UDAIPUR/TRUST/2025/116
चूंकि प्रार्थी श्री वालजी, डागल भाटडा सरू उदयपुर राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास
ग्राम विकास कोष डागल भाटडा, डागन भाटडा सरू उदयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अत एव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है।
में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो तो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 08.07.2025
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद, राजसमन्द
सं. 1578 दिनांक: 15/05/2025

लोक-सूचना

श्री महेश सनाढ्य पिता श्री रमेशचन्द्र सनाढ्य निवासी राज्याबास तहसील राजसमन्द जिला राजसंद एवं श्रीमती शिमला पत्नि श्री भैरूलाल टांक निवासी जल चक्की कांकरोली तहसील राजसमन्द जिलाराजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमन्द	धोईन्दा	595/2	रकबा 0.2833 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 15/5/25 को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिका नाथद्वारा जिला राजसमन्द
सं. 1401 दिनांक: 07/05/2025

लोक-सूचना

श्री बलवीर सिंह बारहठ पिता श्री अर्जुन सिंह निवासी रावला, राबचा, लालमादडी, तहसील-देलवाड़ा, जिला राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
1	देलवाडा जिला-राजसमन्द	राबचा	खसरा नम्बर-1663/506	रकबा 0.1897 हैक्टेयर
				रकबा 0.0253 हैक्टेयर
			खसरा नम्बर-507	रकबा 0.3035 हैक्टेयर
			खसरा नम्बर-508	रकबा 0.5059 हैक्टेयर
			खसरा नम्बर-509	रकबा 0.4173 हैक्टेयर
			खसरा नम्बर-510	

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 07/05/25 को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगरपालिका, नाथद्वारा

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिका नाथद्वारा जिला राजसमन्द
सं. 1406 दिनांक: 07/05/2025

लोक-सूचना

श्री मान सिंह राजपूत पिता श्री अर्जुन सिंह निवासी रावला, राबचा, लालमादडी, तहसील-देलवाड़ा, जिला राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	देलवाडा जिला-राजसमन्द	राबचा	खसरा नम्बर-1744/506	रकबा 0.1707 हैक्टेयर
			खसरा नम्बर-1947/85	रकबा 0.0537 हैक्टेयर
				रकबा 0.3035 हैक्टेयर
			खसरा नम्बर-515-1	रकबा 0.3035 हैक्टेयर
			खसरा नम्बर-515	
			खसरा नम्बर-514-1	रकबा 0.1138 हैक्टेयर
			खसरा नम्बर-514	रकबा 0.1138 हैक्टेयर
			खसरा नम्बर-512	रकबा 0.1644 हैक्टेयर
			खसरा नम्बर-513	रकबा 0.1391 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 07/05/25 को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजसमंद खण्ड-द्वितीय
खनिज भवन, आर.के.अस्पताल के सामने, बाईपास रोड़, राजसमंद
Email-me.rajsamand2@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-खअ/ राज- III/सीसी-1एम.एल.-22/2024/ 450 दिनांक: 15.5.2025

आम सूचना नोटिस

खनन पट्टा संख्या 22/2004 निकट ग्राम भूंगल का गुडा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द वास्ते खनिज मेसेनरी स्टोन श्री लोगर पुत्र श्री दल्ला जी गमेती निवासी भूंगल का गुडा पोस्ट करोली तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द के पक्ष में अवधि दिनांक 26.10.2005 से 25.10.2055 तक के लिए प्रभावशील है। चूंकि खनन पट्टाधारी श्री लोगर गमेती की मृत्यु दिनांक 13.05.2024 को हो जाने से उक्त खनन पट्टे का नामान्तरण उनकी पत्नी श्रीमति खमाणी बाई पत्नि स्व.श्री लोगर गमेती निवासी गुर्जरवाडा, करोली तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द के पक्ष में नामान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को आपत्ति/परेशानी हो तो 15 दिवस में उपर अंकित पते पर लिखित में दर्ज करावे।
आज्ञा से, खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय, राजसमन्द

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिका नाथद्वारा जिला राजसमन्द
सं. 1398 दिनांक: 07/05/2025

लोक-सूचना

श्री बलवीर सिंह बारहठ पिता श्री अर्जुन सिंह निवासी रावला, राबचा, लालमादडी, तहसील-देलवाड़ा, जिला राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
1	देलवाडा जिला-राजसमन्द	राबचा	खसरा नम्बर-83	रकबा 1.2773 हैक्टेयर
			खसरा नम्बर-1495/83	रकबा 0.3920 हैक्टेयर
			खसरा नम्बर-1496/83	रकबा 0.3920 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 07/05/25 को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा

1045.2025